वित्तीय स्वीकृति-2017-18

संख्या-2/2018/1022/52-2-17-2(6)/2017

प्रेषक,

डा0पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0, □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□□□□0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रू0 2,63,92,000/- □□ सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 97,61,000/-की वित्तीय स्वीकृति।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017, शासनादेश संख्या-3/2017/□□-1-348/□□-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ/रामपुर के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित आय-व्ययक धनराशि रू0 4,13,10,000/-(रूपये चार करोड तेरह लाख दस हजार मात्र) के प्रथम पाँच माहों के लिए शासनादेश संख्या-320/52-2-2017-2(6)/2017 दिनांक 11.05.2017 द्वारा रू0 1,66,31,000 (रूपया एक करोड छियाछठ लाख इकतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

2. इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्य -8/2017/□□-1-1190/□□-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□□□□0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रू0 2,63,92,000/- के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1,66,31,000/- के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 97,61,000/- (रूपया सतानबे लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(रू0 हजार में)

क्र0 □0	□□□ □□ □□ □□	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित □□□□	प्रथम 05 □□ हेतु स्वीकृत की □□□ □□□□	स्वीकृति हेतु □□□□ □□□□
1	2	3	4	5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-	01-□□□	9318	9637.5	-319.5
2-	02-मजदूरी	100	83.333	16.667
3-	03-मंहगाई भत्ता	559	481.666	77.334
4-	04-यात्रा04-यात्रा व्यय	200	83.333	116.667
5-	06-अन्य भत्ते	1300	541.667	758.333
6-	07-□□□□	1000	416.667	583.333
7-	08-कार्यालय व्यय	800	333.333	466.667
8-	09-विद्युत देय	200	83.333	116.667
9-	10 □□ □□/जल प्रभार	50	20.83	29.17
10-	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	550	229.166	320.834
11-	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	333.333	466.667
12-	13-टेलीफोन पर व्यय	450	187.5	262.5
13-	14-मोटर गाडियों का क्रय	---	---	---
14-	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1600	666.666	933.334
15-	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं □□□□□□□□□	800	333.333	466.667
16-	17-किराया, उप शुल्क और □□-स्वामित्व	3600	1500	2100
17-	18-प्रकाशन	250	104.166	145.834
18-	22-आथित्य व्यय/व्यय विशयक भत्ता आदि	200	83.333	116.667
19-	26 मशीने और सज्जा/□□□□□ और संयंत्र	200	83.333	116.667
20-	42 अन्य व्यय	600	250	350
21-	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	200	83.333	116.667
22-	45- अवकाश यात्रा व्यय	200	83.333	116.667
23-	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्वेयर का क्रय	1000	416.667	583.333
24-	47-कम्प्युटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	400	166.666	233.334
25-	49- चिकित्सा व्यय	600	416.666	183.334
26-	51- वर्दी व्यय	20	8.333	11.667
27-	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1395	---	1395
	□□-	26392	16631	9761

रू0 97,61,000/-(रूपया सतानबे लाख इकसठ हजार मात्र)

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-(1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) कृपया सुनिश्चित किया जाय कि धनराशियां का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(4) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार

के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखा शीर्षक/मदवार प्रत्येक माह वं 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित □□□□□ □□□ □□□□ से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित □□□□

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-□0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्य -1/2017/□□-1-02/□□- 2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश सं -3/2017/□□-1-348/□□- 2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय□,

(□□0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषतः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0, □□□□□

4- रजिस्टार उ0प्र0 वक्फ न्यायधिकरण लखनऊ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0, □□□□□

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□□

7- वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1/2

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) □□□□□-11

9- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरी राम)

□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, □□: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।